मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal
(An Institution of National Importance under Ministry of Education, Govt. of India)

सम्पदा/2024/1137

दिनाँक: - 30/12/2024

// आवास आवंटन आदेश //

आवास आवंटन समिति की अनुशंसा तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित आवेदकों को आवास आवंटित किये जाते हैं : -

क्र.	आवेदक का नाम	पद	विभाग	वर्तमान आवास क्र.	आवंटित आवास क्र.
1.	डॉ. गौरव द्विवेदी	सहायक प्राध्यापक	ऊर्जा केंद्र	VI/40	VI/33
2.	डॉ. धीरेंद्र मिश्रा	सहायक प्राध्यापक	एम.बी.सी	VI/58	VI31
3.	डॉ. अतुल कुमार	सहायक प्राध्यापक	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी	-	VI/25
4.	डॉ. नवीन पराशर	सहायक प्राध्यापक	वास्तुकला एवं योजना	-	VI/44
5.	डॉ. एस. देवीदास	सहायक प्राध्यापक	एम.बी.सी	-	VI/34
6.	डॉ. लाल सिंह देवसोठ	सहायक प्राध्यापक	यांत्रिक अभियांत्रिकी	-	VI/56
7.	डॉ. मनोज कुमार बहेरा	सहायक प्राध्यापक	विद्युत् अभियांत्रिकी	-	VI/59
8.	डॉ. हस्ति वेंकटेश्वरलु	सहायक प्राध्यापक	जनपद अभियांत्रिकी	-	VI/60
9.	डॉ. अनिंगि मोखलिंगम	सहायक प्राध्यापक	यांत्रिक अभियांत्रिकी	-	VI/08
10.	डॉ.आकाश चंद्रन	सहायक प्राध्यापक	रासायनिक विभाग	-	VI/50
11.	डॉ. विभूति चौहान	सहायक प्राध्यापक	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी	-	VI/52
12.	डॉ. मनीषा सिंह	सहायक प्राध्यापक	कंप्यूटर विज्ञानं एवं अभियांत्रिकी	-	VII/17
13.	डॉ. विजय सिंह रावत	खेल अधिकारी	खेल अनुभाग	-	VII/8
14.	श्री वसीम रहमान	सहायक लाइब्रेरियन	पुस्तकालय	-	VI/54
15.	श्री जिजुला चारुकेश	तकनिकी सहायक	एम.बी.सी	VII/37	VII/19
16.	श्री भारत भूषण खरे	तकनीशियन	विद्युत अभियांत्रिकी	-	VIII/06
17.	श्री विशाल राठोर	कान्ट्रैक्ट फैकल्टी (टेम्परेरी)	विद्युत अभियांत्रिकी	-	BF-6
18.	श्री संजय कुमार तिवारी	-	NCC	VII/40	VII/09

निरंतर...

टिप्पणी: -

1. उपरोक्त आवास आवंटन संस्थान की नवीनतम आवास आवंटन नियमावली (House Allotment Rules) के अंतर्गत किया गया है, जिसे संस्थान में दिनाँक:- 15/11/2021 से लागू किया गया है। यह आवास आवंटन नियमावली संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
2. प्रत्येक आवंटी को यह आदेश प्राप्त होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर नए आवंटित आवास पर स्थानांतरित होना आवश्यक है, अन्यथा आवंटन स्वतः ही रद्द माना जाएगा तथा आवंटन स्वीकार न होने की स्थिति में आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए आवंटी को आवास आवंटन के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं आवंटी को आवंटित आवास की श्रेणी का एक महीने का लाइसेंस शुल्क भुगतान करना होगा।
3. आवंटित आवास में आवंटियों को दुधारू पशु अथवा अन्य कोई पशु रखने की अनुमति नहीं है।

यह आवास आवंटन आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है।

विनोद डोले
सम्पदा अधिकारी
30/12/2024

प्रति,

समस्त आवंटी/आवेदक

प्रतिलिपि: -

1. प्रमुख प्राध्यापक (विद्युत रख-रखाव)-उचित कार्यवाही हेतु,
2. प्रमुख प्राध्यापक (वेबसाइट) - संस्थान की वेबसाइट पर अंकित करने हेतु,
3. संकाय अध्यक्ष (संकाय कल्याण))-उचित कार्यवाही हेतु,
4. निज-सचिव (कुलसचिव) - कुलसचिव के सूचनार्थ,
5. निज-सचिव (निदेशक) - निदेशक के सूचनार्थ।